

प्ररूप सात
(नियम 11 देखिए)

11/27/2024
21/10/2024



मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन
नियम की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र।

JABALPUR DIOCESAN EDUCATIONAL SOCIETY

BISHOP'S HOUSE, SNEH SADAN 599 SOUTH CIVIL LINE, JABALPUR

1038 - 03/05/1968

25/04/2024

25/04/2024 से तारीख 24/04/2026

अन क्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
(1)	Dr. J.G. Vazhan Arasu S/o Jesu Gabriel Gasper	Bishop's House Sneh Sadan, 599 S. CIVIL LINE, JBP	President	Bishop of Jabalpur	<i>Arasu</i>
(2)	Fr. Davis George S/o George Koonan	55 Peter & Paul Cathedral Cantt, JBP	Vice President	Vicar General	<i>George</i>
(3)	Fr. Thankachan Jose S/o Joseph Thomas	St. Aloysius Institute of Technology, Ekt Market Gurugayat	Secretary	Director	<i>Thankachan</i>
(4)	George Kutey S/o Thomas Chacko	Bishop's House Sneh Sadan, 599 South Civil Line, JBP	Treasurer	Clergy man	<i>George</i>
(5)	Fr. Thomas Mathew S/o K.T. Mathew	Mother Teresa School Jabalpur	Joint Secretary	Principal	<i>Thomas</i>
(6)	Fr. Ranjeet Lakra S/o Cyril Lakra	Vidya Jyoti School Bhuia Block, JBP	Librarian	Principal	<i>Ranjeet</i>
(7)		मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन प्रस्तुत			

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन
की वार्षिक फीस चालान क्रमांक 12882 - दिनांक 30/7/2024 के द्वारा जमा कर
कम की मूल प्रति संलग्न है। 68733 - 27/9/2024

घोषणा

मैं Fr. Thankachan Jose पुत्र/पुत्री/पति Joseph Thomas

वर्ष 58 एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि
नियम की सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार
सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में हैं। मैं यह घोषणा
करता हूँ कि मैंने इसका पालन करने के लिए एतद्वारा अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रस्तुत
किया है।

Sanjay Kumar Tiwari

Assistant Registrar

Firms & Society

Jabalpur Division, Jabalpur

Thankachan

SECRETARY

Jabalpur Diocesan Educational Society
Jabalpur Cantt.



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CN 226847

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम
1973 की धारा 29 के तहत प्रमाणित

for Jabalpur District Education Officer 1038
दिनांक 3/5/1968 के नाम के दिनांक.
प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम
की धारा 27 के तहत जारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29
तहत दिनांक 21/8/2024 को आवेदन की प्रमाणित
• इस आवेदन प्रस्तुत किया गया धारा 27 के तहत
प्रस्तुत शाली निवास की सूची की वैधता के संबंध में
प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी है। कार्यालय द्वारा
धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि जारी की गई है। धारा
के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधता के
संबंध में प्रमाणित नहीं है।



Sanjay Kumar Tiwari
Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar (F)
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur